

फर्द अहकाम

(नियम 26) -

उप खण्ड अधिकारी

अज अदालत

मुकाम

जालौर

शिवलाल पुत्र नरखाया पुत्रोदित बनाम राजस्थान सरकार अरिपे तहसीलदार जालौर  
 क्विस्त मुकदमा नं. RA 66/2019 सन 2019  
धारा - 136 (R.L. Act) 27/9/2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27/9/2019	<p>प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान मू० राज्य अधिनियम के तहत पेय ड्रिप/जिल्डो अन्य तहसीलदार जालौर के इरवार गरी प्रकरण के रजिस्ट्रार को लिहाजा पत्रावली वाले बल आदेश के दि० 30/9/2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उप खण्ड अधिकारी जालौर</p>	
30/9/19	<p>पुत्रोदित हाजिर। बल आदेश के पत्रावली आदेश दि० 15/10/19 को पेश हो।</p>	
15/10/19	<p>पत्रावली आप पेश हुई। राज्यपरोक्ष हाजिर। पत्रावली का अपलोडन किया। प्रार्थी का पुत्र प्रार्थना पत्र लीडा। अ जाता है। विलुप्त निर्णय जुदागन जिला आवे। पत्रावली फैलन सुमा। रजिस्ट्रार हाजिर दफतर हो। निर्णय लेरे इजलाल आप किने। 15/10/19 को सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">15/10/19 उपखण्ड अधिकारी जालौर (राज.)</p>	

